

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3249

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित विधिक मामले

3249. डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी :

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :

श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

श्री एस. मुनिस्वामी :

श्री प्रताप सिम्हा :

डॉ. उमेश जी. जाधव :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पंद्रह वर्षों से कर्नाटक और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या लंबित कानूनी मामलों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग न्याय पाने से वंचित हो रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र में सेवारत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या इस विषय में न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय में पिछले 15 वर्षों से लंबित मामलों की संख्या क्रमशः 2,56,906 और 2,81,986 है।

(ख) और (ग) : कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित सभी न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रेक और बहु मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं। केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक ईको प्रणाली प्रदान करने के लिए कई पहलों को अपनाया है।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

(i) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:- 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9013.21 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.06.2022 तक बढ़कर 20,993 हो

चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,502 हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, न्याय विकास पोर्टल पर डाटा के अनुसार 2,777 न्यायालय हाल और 1,659 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा। न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

अब तक केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 9150.71 करोड़ रुपये, जिसमें से रु. 2014-15 से अब तक 5706.41 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं जो इस स्कीम के अधीन कुल जारी का लगभग 62.36% है। इसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार को 811.94 करोड़ रु.और कर्नाटक राज्य सरकार को 727.49 करोड़ रुपए का जारी होना भी सम्मिलित है।

30.06.2022 तक उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की 24,623 मंजूर पद संख्या तथा 19,313 कार्यरत पद संख्या के लिए जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में संख्या, 20,993 न्यायालय कक्षों तथा 18,502 आवासीय इकाइया उपलब्ध हैं। इसके अलावा, न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2,677 न्यायालय हॉल और 1,659 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। कर्नाटक राज्य में, 30.06.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के 1071 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या के लिए 1165 न्यायालय हॉल और 1120 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, वहां 2350 न्यायालय हॉल हैं और 1940 न्यायाधीशों/जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी की कार्यरत पद संख्या के मुकाबले 2055 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं।

(ii) सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन :- सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और

अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है। सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं। 04.07.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 20.86 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 18.02 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है। कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 500 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए बीस वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.04.2022 तक 63,76,561 मामलों (कुल 1.92 करोड़) की सुनवाई की। 13.06.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 2,61,338 सुनवाई हुई।

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के संबंध में बेहतर न्याय वितरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाने का विवरण निम्नानुसार है: -

	कर्नाटक	महाराष्ट्र
कंप्यूटरीकृत न्यायालय	1031	2157
वैन	195	464
एजेडीजी	1.73 करोड़ से अधिक लंबित और निपटाए गए मामले 2.09 करोड़ से अधिक कुल आदेश/निर्णय	2.36 करोड़ से अधिक लंबित और निपटाए गए मामले 1.19 करोड़ से अधिक कुल आदेश/निर्णय
ईसेवा केंद्र	10	40
वीसी न्यायालय	297	466
वीसी जेल	97	138
वीसी की सुनवाई .	9,64,593	78,247

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना :-** 01.05.2014 से 15.07.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 769 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 619 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.07.2022	24,631	19288

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कर्नाटक और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:

(29.07.2022 तक)

उच्च न्यायालय का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्ति
कर्नाटक	62	44	18
बम्बई	94	62	32

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या, कार्य पद संख्या और रिक्ति की स्थिति निम्नानुसार है: -

(29.07.2022 तक)

राज्य का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्ति
कर्नाटक	1364	1065	299
महाराष्ट्र	2190	1940	250

(iv) **बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी :** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) **अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :-** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए हैं।

(vi) विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :- चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यायगमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरुद्ध अपराधों के लिए 892 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड रुपए जारी किए गए हैं। 728 एफटीएससी वर्तमान में 408 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 30.06.2022 तक 1,02,344 मामलों का निपटारा किया गया।

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में निर्धारित और कार्यात्मक एफटीएससी का विवरण निम्नानुसार है: -

उच्च न्यायालय का नाम	निर्धारित एफटीएससी	कार्यात्मक एफटीएससी	निर्धारित ईपॉक्सो न्यायालय	कार्यात्मक ईपॉक्सो न्यायालय
कर्नाटक	31	25	17	17
महाराष्ट्र	138	39	20	21

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को जारी किए गए अनुदानों का विवरण इस प्रकार है: -

उच्च न्यायालय का नाम	केंद्रीय शेयर जारी	देय राज्य का हिस्सा	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त
कर्नाटक	13.61 करोड़	9.07 करोड़	12.97 करोड़
महाराष्ट्र	31.05 करोड़	20.7 करोड़	7.01 करोड़

(vii) इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र में सेवारत न्यायाधीशों की संख्या **उपाबंध** पर है।

(ङ) और (च) : जिला और नीचे जिला/अधीनस्थ (तहसील/तालुका) स्तर पर नए न्यायालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से स्थापित किए जाते हैं।

इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए एक पद्धति विकसित करने के लिए कहा। 245वीं रिपोर्ट (2014) में विधि आयोग ने संप्रेक्षण किया कि प्रति व्यक्ति मामले फाइल करना भौगोलिक इकाइयों में काफी भिन्न होता है क्योंकि फाइल करना आबादी की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से सहयोजित होती है। इस प्रकार विधि आयोग ने देश में न्यायाधीशों की संख्या की पर्याप्तता का अवधारण करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक मानदंड नहीं माना। विधि आयोग ने पाया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में डेटा संग्रह के लिए पूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने के साथ "न की दरनिपटा" साथ यह सुनिश्चित करने के लिए- है जिससे नए बैकलॉग को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। मई, 2014

में, उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अगस्त में 2014, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने (एनसीएमएस समिति)

और इससंबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा। एनसीएमएस समिति ने 2016 मार्च, में तदनुसार उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट 2016, अन्य बातों के साथ, यह संप्रेक्षण करती है कि दीर्घावधि में, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद संख्या प्रत्येक न्यायालय के मामले में भार के निपटान के लिए अपेक्षित की कुल संख्या के अवधारण की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा "न्यायिक घंटे" मूल्यांकन करना होगा। अंतरिम में, समिति ने स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता के आधार पर निपटान दृष्टिकोण "भारित" अर्थात् निपटान भारित करने का प्रस्ताव दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 02.01.2017 के निर्देशानुसार न्याय विभाग ने एनसीएमएस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दी है जिससे वे जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की आवश्यक शक्ति का निर्धारण करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें।

उपाबंध

'न्यायालयों में लम्बित विधिक मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3249 जिसका उत्तर 05.08.2022 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बंबई और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या नीचे दी गई है:

(29.07.2022 तक)

वर्ष (निम्नलिखित तारीख को)	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तिया
01.01.2019	बम्बई	94	71	23
	कर्नाटक	62	33	29
01.01.2020	बम्बई	94	70	24
	कर्नाटक	62	40	22
01.01.2021	बम्बई	94	64	30
	कर्नाटक	62	46	16
29.07.2022	बम्बई	94	62	32
	कर्नाटक	62	44	18
